उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या–1656/मा0सं0–04/उ0नि0लि0/2018–03(11)मा0सं0–04/2017 दिनांकः 25 अक्टूबर,2018

मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक
ओबरा/अनपरा/पारीछा/ हरदुआगंज एवं
मुख्य अभियन्ता पनकी ताप विद्युत गृह,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/
कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

विषयः–उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की कार्यवाही के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
संदर्भ संख्या– पा0का0लि0 का पत्रांक 961–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2017–60–पी/98 (टी0सी0–1) दि0 07.08.2018

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0–1918/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017–3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 29.12.2017 एवं तत्क्रम में जारी निगम के कार्यालय ज्ञाप 1172/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 23.07.2018 जिसके माध्यम से उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उ0प्र0 शासन के आदेशो की अनुरूपता में शासन की सहमति से दिनांक 01.01.2016 से किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित दरों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान आदेश शीघ्र एवं सुगमता से जारी कराये जाने के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्रांक 961–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2017 दिनाँक 07.08.2018 की अनुरूपता में निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

1. उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिक के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग में पेंशन की पुनरीक्षण की कार्यवाही के सम्बन्ध में निगम के पत्र सं0–951–मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 30.05.2018 सपठित शुद्धि पत्र संख्या सं0–1030–मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018– 3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 14.06.2018 के माध्यम से दिनांक 01.01.2016 के पूर्व विभिन्न वेतन आयोगों में वेतन पुनरीक्षण एवं तद्नुसार दिनांक 01.01.2016 से पेंशन के निर्धारण हेतु जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) को संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है। **इस सम्बन्ध में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर्स को जिस अन्तिम वेतनमान/वेतन के अनुसार पेंशन अनुमन्य करायी जा रही है उसी अन्तिम वेतनमान/वेतन के आधार पर निगम के उक्त**

क्रमशः 02 पर

पत्र के माध्यम से जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) में संगत तालिका के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सुगमता से शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस कार्यवाही में यदि किसी मामले में अन्तिम आहरित वेतनमान/वेतन में कोई भ्रम की स्थिति पेंशन पत्रावली के अभिलेखों में उत्पन्न हो तो उसका निराकरण सम्बन्धित पेंशनर्स की सेवा पुस्तिका से (अराजपत्रित मामलो में) तथा लेखाधिकारी, वेतन एवं लेखा से (राजपत्रित मामलों में) पुष्टि करके किया जा सकता है।

**यहाँ पर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि** निगम के पत्र सं0–951–मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 30.05.2018 सपठित शुद्धि पत्र संख्या सं0–1030–मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 14.06.2018 **के अनुसार जारी प्रक्रमवार तालिकाओं (Concordance Table) को उ0प्र0पा0का0लि0 के लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) तथा लेखाधिकारी (पेंशन) के संयुक्त हस्ताक्षर से विधीक्षोपरान्त जारी किया गया है इसलिए दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों के सम्बन्ध में अलग से उनके वेतन का नोशनल वेतन निर्धारण अथवा विधीक्षा कराये जाने की या इस सम्बन्ध में पेंशनर्स विशेष से कोई भी सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।**

2. उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग–02 के शासनादेश सं0–7/2018/1247/24–पी–2–18–सा0 (84)/2014 दिनांक 29.06.2018 के अनुपालन में जारी निगम के आदेश सं0–1416/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 20.08.2018 के बिन्दु–05 में की गयी व्यवस्था कि "अनन्तिम पेंशन का भुगतान छः माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छः माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तारण शासन की अनुमति से किया जायेगा।"

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2018 से लागू व्यवस्था अनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु कोषागारों से समन्वय स्थापित कर अनन्तिम पेंशन का भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जाये। प्रकरण जिनमें विभागीय जॉच/विभागीय स्तर पर लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के कारण पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं की जा सकी है उन मामलो में विभागीय जाँच/लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम कार्यालय के स्तर से छः माह में कार्यवाही पूर्ण करते हुए अन्तिम पेंशन की स्वीकृति/अन्तिम पेंशन भुगतान आदेश जारी करा दी जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे मामले जिनमें माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन/लम्बित हैं केवल उन्ही मामलों में अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि का विस्तारण छः माह अथवा बारह माह जैसी भी स्थिति हो, के उपरान्त कराया जाये। पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) में इस तथ्य का स्पष्ट/विशिष्ट उल्लेख भी कर दिया जाये।

3. दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिको के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पेंशन भुगतान आदेश जारी कराये जाने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन निदेशालय/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के स्तर से की जा रही है। इस सम्बन्ध में पेंशन निदेशालय स्तर से कतिपय मामलों में यह सूचना प्राप्त हुई है कि पेंशन प्रपत्रों को सम्पूर्णता में सभी सूचनाओं/पेंशनरी देयों के आकलन सहित नही भरा जा रहा है तथा वांछित सूचनाओं के सापेक्ष मात्र नियमानुसार अथवा यथा देय का अंकन करके ही पेंशन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे पेंशन के निस्तारण में कठिनाई एवं विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

**क्रमशः पृष्ठ– 03पर.....**

उक्त के सम्बन्ध में निगम के पत्र सं0 1172/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018–3(11)–मा0सं0(04)/2017 दिनांक 23.07.2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है अतएव तद्नुसार कार्यवाही कराते हुये समस्त सूचनाओं सहित पेंशन प्रपत्रों को पूर्ण कराकर यथा पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, पारिवारिक पेंशन की पूर्ण धनराशि पूर्ण गणना के अनुसार अंकित कराते हुये तथा वांछित अभिलेखों को संलग्न करते हुये पेंशन प्रपत्रों को निदेशक, पेंशन निदेशालय अथवा मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किया जाये जिससे पेंशन के निस्तारण में किसी भी प्रकार की विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना न रहे।

24/x/18
(संजय तिवारी)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या–1656(1)/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य),उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/ईधन/वाणिज्य/प्रगति/तापीय परिचालन/जानपद–नवपरियोजनायें/पर्यावरण एवं सुरक्षा/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0(01/02/06/04/05)/टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
14. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
15. अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0–01/05/03/04/रिफार्म) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
17. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
18. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध),उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ ।
19. कट फाइल।

24/x/18
(संजय तिवारी)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)